संशोधन

संख्या-14/2016/803/18-2-2016-30(3)/2016

प्रेषक

आर0 ए0 सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 24 नवम्बर, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण हेतु बजट में व्यवस्थित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-13/2016/731/18-2-2016-30(3)/2016, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-3 में औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 700.00 लाख के सापेक्ष रू0 605.75 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश में स्वीकृत धनराशि रू0 605.75 लाख के सम्मुख शब्दों में रू0 छः करोड़ पांच लाख पचहत्तर लाख मात्र अंकित हो गयी है जबकि रू0 छः करोड़ पांच लाख पचहत्तर हजार मात्र अंकित होनी चाहिये थी।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 15-11-2016 के प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि रू0 605.75 लाख के सम्मुख शब्दों में अंकित "(रू0 छः करोड़ पांच लाख पचहत्तर लाख मात्र)" के स्थान पर "(रू0 छः करोड़ पांच लाख पचहत्तर हजार मात्र)" पढ़ा जाय। उक्त सीमा तक शासनादेश दिनांक 15-11-2016 को संशोधित समझा जाय।

4- उक्त शासनादेश की शेष शर्तें एवं व्यवस्थायें यथावत रहेंगी।

भवदीय
आर0 ए0 सिंह
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4- निदेशक, वित्तीय एवं साख्यिकीय निदेशालय, 125- जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संबंधित निर्माण एजेन्सी।
6- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3/2 (गार्ड फाइल)।

आज्ञा से

आर0 ए0 सिंह
अनु सचिव।